

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 478

पटना, दिनांक:-24/2/25

परिवादी श्री संजीव कुमार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत वर्ष 2008-12 में कर्मचारियों के वेतन से काटे गए TDS की राशि आयकर विभाग में जमा नहीं करने से संबंधित परिवाद की जाँच कर संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-78(को०), दिनांक-20.09.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

02. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक TDS की राशि आयकर विभाग में जमा नहीं करने के कारण आयकर विभाग द्वारा ICICI Bank के Child Account No.-431701000166 से कुल ₹36,53,490.00 की कटौती की गयी, जिसमें विलम्ब शुल्क की राशि ₹3,42,620.00 सन्निहित है, जिसके लिए श्री राजीव रंजन लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर को जिम्मेवार माना गया।

03. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोप के आलोक में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री लाल के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-598, दिनांक-25.06.2024 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनका स्पष्टीकरण अंततः अप्राप्त रहा। श्री लाल का उक्त कृत्य उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता को दर्शाता है एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना का द्योतक है। साथ ही उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i)3(1)(ii)3(1)(iii) एवं बिहार वित्त नियमावली में वर्णित सुसंगत नियमों के विपरीत है। समीक्षोपरान्त श्री लाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

04. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री लाल के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री प्रिंस कुमार,



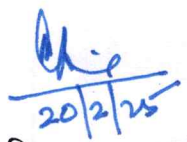
कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

05. आरोपित श्री लाल, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री राजीव रंजन लाल, अधीक्षण अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री प्रिंस कुमार, कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को दी जाय।

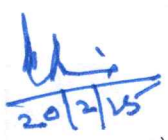
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

✓ 
(मो० अनिश अफजल)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
के प्रावैधिक सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 478

पटना, दिनांक- 24/2/25

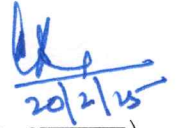
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ 
(मो० अनिश अफजल)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
के प्रावैधिक सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 478

पटना, दिनांक- 24/2/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/2/25

✓ (मो० अनिश अफजल)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
के प्रावैधिक सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०6-108/2021(खण्ड-I)- 478

पटना, दिनांक- 24/2/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/श्री राजीव रंजन लाल, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/2/25

(मो० अनिश अफजल)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

के प्रावैधिक सचिव।
20-2-25